पत्रांक – वि॰प्रा॰(III) यो॰ –62/2016–

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं0 हक) बिहार,
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

/पटना, दिनांक ....

विषय –विभागान्तर्गत नवस्वीकृत अभियंत्रण महाविद्यालय, किशनगंज की चहारदीवारी, मुख्य द्वार, गार्ड रूम, पहुँच पथ के निर्माण एवं मिट्टी भराई कार्यों के लिए कुल रू॰ 4,12,56,000=00 (चार करोड़ बारह लाख छप्पन हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश :– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–10259(भ), दिनांक 25.11.2019 के माध्यम से उपलब्ध कराये गए मुख्य अभियंता (निरूपण), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर विभागान्तर्गत नवस्वीकृत अभियंत्रण महाविद्यालय, किशनगंज की चहारदीवारी, मुख्य द्वार, गार्ड रूम, पहुँच पथ के निर्माण एवं मिट्टी भराई कार्यों के लिए कुल रू॰ 4,12,56,000=00 (चार करोड़ बारह लाख छप्पन हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृति राशि, वित्तीय वर्ष 2019–20 के राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष – 4202– शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय उप मुख्यशीर्ष– 02– तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष– 105– इंजीनियरिंग/ तकनीकी महाविद्यालय, मांग संख्या–3, उपशीर्ष– 0105–अभियंत्रण महाविद्यालय भवन (निश्चय) के अधीन 53 01 मुख्य निर्माण कार्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा, जिसका विपत्र कोड 03–4202021050105 है।

3. उक्त स्वीकृत राशि का आवंटन, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा संबंधित भवन प्रमंडल, किशनगंज को प्रदान किया जायेगा।

4. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत/ विनिर्दिष्ट कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, किशनगंज होगें।

5. आवंटित राशि की निकासी नियमानुसार कोषागार, किशनगंज से की जायेगी।

6. स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2019–20 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

7. संस्थान के निर्माण कार्य हेतु किये गए एकरारनामा के तहत इस कार्य को कराना सुनिश्चित किया जायेगा ताकि भवन का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण हो सके।

8. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 3758 वि॰, दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

9. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह॰/ –
(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि॰प्रा॰(III) यो॰ –62/2016–
/पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

/पटना, दिनांक–
ज्ञापांक – वि॰प्रा॰(III) यो॰ –62/2016–
प्रतिलिपि – कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

/पटना, दिनांक–
ज्ञापांक – वि॰प्रा॰(III) यो॰ –62/2016–
प्रतिलिपि – प्रधान सचिव/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव/ मुख्य अभियंता (निरूपण)/मुख्य अभियंता (उत्तर), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

/पटना, दिनांक–
ज्ञापांक – वि॰प्रा॰(III) यो॰ –62/2016–
प्रतिलिपि – आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया/जिला पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

/पटना, दिनांक–
ज्ञापांक – वि॰प्रा॰(III) यो॰ –62/2016–
प्रतिलिपि – कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, किशनगंज, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

/पटना, दिनांक–
ज्ञापांक – वि॰प्रा॰(III) यो॰ –62/2016–
प्रतिलिपि – प्राचार्य, अभियंत्रण महाविद्यालय, पूर्णिया/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि॰प्रा॰(III) यो॰ –62/2016– 4176 /पटना, दिनांक– 16-12-019
प्रतिलिपि – माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ संयुक्त निदेशक (एम)/बजट सहायक/ आई॰टी॰ मैनेजर (E-mail तथा विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु) विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/19
सरकार के उप सचिव